# राजस्व लोक अदालत –2015 कैम्प ग्राम पंचायत पचपदरा

**न्यायालय – सहायक कलक्टर ( S.D.O.) बालोतरा जिला बाडमेर**

**पीठासीन अधिकारी – श्री उदयभानु चारण, आर.ए.एस.**

मुकदमा नम्बर –68/2014

**प्रार्थीगण**

1 हीरोदेवी पत्नि कुनाराम कुम्हार
निवासी पचपदरा तहसील पचपदरा

**विप्रार्थीगण**

1. गोपालदास पुत्र सोनदास संत
2. राजूदास पुत्र सोनदास संत
3. बदामी पत्नि सोनदास संत
4. बुदिया पुत्र जीवा भील
5. बाबूड़ा पुत्र जीवा भील
6. सिविया पुत्र जीवा भील
7. हकिया पुत्र जीवा भील
8. चम्पा बैवा जीवा भील
9. केवलिया पुत्र शंकरिया भील निवासी मण्डापुरा
10. देवीलाल पुत्र आईदान सुथार निवासी पचपदरा
11. गोविंदराम पुत्र सरदार खारवाल निवासी पचपदरा
12. राजस्थान सरकार तहसीलदार पचपदरा

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा आर एल आर एक्ट 111,128**

**आदेश** **दिनांक :– 19/5/ 2015**

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत –2015 कैम्प मे पेश हुई। दोनो पक्षकारान उपस्थित । प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी का खेत सरहद मौजा मण्डापुरा पटवार हल्का ~~कुडी~~ पचंपदरा के खेत खसरा नं0 679 रकबा 08.01 बीघा सरहद मौजा मण्डापुरा में आई है प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहता है। प्रार्थीगण ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थीगण की दरखास्त दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया, । प्रार्थीगण के वक्त काश्त प्राथीगण व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है, इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण की दरखास्त स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्राथीगण की दरखास्त स्वीकार की जाकर विवादित भूमि की पेमाईश एवं नेख्मबन्दी करने हेतु भूमापक कर्ता को नियुक्त किया जाता है। भूमापक कर्ता को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता का यह भी निर्देश दिये जाते है कि न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति मे परिवर्तन किये बिना ,मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे । तहरीर जारी हो। भू– मापक आयुक्त का खर्चा प्रार्थी नियमानुसार अदा करे ।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर के बाद तामिल के दाखिल दफतर हो ।

आदेश राजस्व लोक अदालत क़ेम्प मे सुनाया गया ।

19/5/15

( उदय भानु चारण )
उपखण्ड अधिकारी,
बालोतरा

पीठासीन अधिकारी लोक अदालत–2015
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
बालोतरा केम्प – ५–५–१५।

Scanned by CamScanner